राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/1000 दिनांक :– 27/01/2022

आदेश

विभाग की जानकारी में आया है कि अभियान के शिविरों के स्थगित होने के कारण निकायों द्वारा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों/प्रकरणों का समय पर निष्पादान नहीं किया जा रहा हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एक बार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021–22 के तहत आयोजित किये जाने वाले के शिविरों को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिन्हें स्थिति सामान्य होते ही पुनः प्रारम्भ किया जाने की संभावना है।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते है कि अभियान के शिविर स्थगन की वजह से निकाय में प्राप्त होने वाले आवेदन/प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाना आवश्यक है। साथ ही निम्न प्रकार से कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जाये:–

1. पूर्व में दर्ज सभी अनिस्तारित प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण किया जावे।
2. निकाय में प्राप्त प्रकरणों का उसी तत्परता से निष्पादन किया जावे ताकि लाभार्थी को उनका कार्य नियत समय में होकर राहत मिल सके।
3. इन्दिरा क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी को बैंक से लाभ राशि दिलवाना।
4. स्थानीय स्तर पर लम्बित ले–आउट प्लानों के संबंध में एक सप्ताह में नियमानुसार कार्यवाही कर अनुमोदन करवाना।
5. पूर्व में किये गये 69–ए के सर्वे के अनुसार आपने अधीनस्थ स्टाफ को आबादी क्षेत्र के प्रत्येक भूखण्ड–धारी से सम्पर्क कर पट्टा बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कराने को प्रेरित कर आगामी कार्यवाही की जावे।
6. सरकार द्वारा जारी परिपत्रों अनुसार दी गई समस्त छूट का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित किया जावे।
7. विभाग की गूगल शीट एवं वेब पोर्टल पर 02 अक्टूम्बर 2021 से 21.11.2021 तक की प्रगति को अपडेट किया जावे।
8. यदि कोई पत्रावली हस्ताक्षर हेतु महापौर/सभापति/अध्यक्ष के पास लम्बित हो तो नियमानुसार अविलम्ब उनका निस्तारण करवाया जावें।
9. विभाग द्वारा जारी की गई तीनों मार्ग निर्देशिकाओं में वर्णित समस्त जानकारी अधिनस्थों को देना ताकि विभागीय नियम एवं दी गई छूट का समस्त को ज्ञान रहें।

समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग से अपेक्षा की जाती है कि जब तक शिविर स्थगित है, इस समय का अच्छी तरत से जनहित में उपयोग करवाना सुनश्चित करावें ताकि सरकार की मंशानुसार लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D/PSKS2021/Order

Scanned with CamScanner

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/1001-1225 दिनांक :– 27/01/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
7. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)

Scanned with CamScanner